UPSP010075532026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एन0डी0पी0एस0 एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–12, सहारनपुर

दाण्डिक प्रकीर्ण वाद संख्या–724/2026

मौ0 सादिक बनाम सरकार

संबंधित मु0अ0सं0–81/2025
धारा– 8/22/29 एन0डी0पी0एस0 एक्ट
थाना– चिलकाना, जिला सहारनपुर ।

आदेश

21–07–2026

1– प्रार्थी **मौ0 सादिक** पुत्र मुस्तफा निवासी म0नं0 222, ग्राम सलीरी, थाना चिलकाना, जिला सहारनपुर की ओर से सम्बन्धित मामले में बरामदा वाहन को अपनी सुर्पुदगी में दिये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि वाद उपरोक्त में बन्द मोटरसाईकिल स्पलेन्डर प्लस रजि0 नं0 UP11AY3042 इंजन नं0 MBLHA10CGGHA51243 व चेसिस नं0 HA10ERGHA01612 के पंजीकृत स्वामी विश्वजीत सिंह पुत्र बी.एस. पुन्डीर निवासी ओ. बी.ओ. नोर्थ इन्डिया फाईनेंस कम्पनी, अम्बाला रोड सहारनपुर हाल निवासी चर्च कम्पाउण्ड बाजोरिया रोड सहारनपुर है। जो थाना चिलकाना पर काफी समय से बन्द है। उक्त गाड़ी थाने पर खड़ी रहने से खराब होने की सम्भावना है। प्रार्थी को अपनी उक्त गाड़ी की आवश्यकता है। प्रार्थी अपने निजी कार्यों में अति व्यस्त होन के कारण उसका संचालन व सही देखरेख नहीं कर पाने के कारण प्रार्थी/मुझ वाहन स्वामी द्वारा उक्त गाड़ी के सम्बन्ध में व रिलीज इत्यादि कार्यवाही करने हेतु दिनांक 15.07.2026 को एक मुख्तारनामा आम (पावर ऑफ एटोर्नी) अपनी ओर से अपने विश्वासपात्र मौ0 सादिक पुत्र मुस्तफा निवासी गांव सलीरी थाना चिलकाना सहारनपुर के नाम सभी अधिकार उक्त गाड़ी के सम्बन्ध में देते हुए स्टाम्प पर नोटरी कराकर दी है। न्यायहित में उक्त गाड़ी मुझ पावर ऑफ एटोर्नी होल्डर मौ0 सादिक की सुपुर्दगी में दिलायी जानी जरूरी है। जिसके सम्बन्ध में पावर ऑफ एटोर्नी होल्डर मौ0 सादिक जमानत व अन्डर टेकिंग देने को तैयार है। पावर ऑफ एटोर्नी की फोटो प्रति संलग्न है। अतः उक्त मोटरसाईकिल पावर आफ एटोर्नी होल्डर की सुपुर्दगी में दिलाये जाने की प्रार्थना की गयी।

2– थाने से आख्या तलब की गयी। थाने की आख्यानुसार, उक्त मोटरसाईकिल स्पलेण्डर बिना नम्बर प्लेट जिसका चेसिस नं0 MBLHA10CGGHA51243 व इन्जन नं0 HA10ERGHA01612 को दिनांक 13.04.2025 को अभियुक्त साबिर पुत्र मुस्तफा निवासी ग्राम सलीरी थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर की गिरफ्तारी के दौरान पकड़कर थाना परिसर में खड़ा कराया गया है, उक्त मोटरसाईकिल चालक के पास मोटरसाईकिल के कोई प्रपत्र न होने के कारण धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया। उपरोक्त मोटरसाईकिल थाना हाजा के मु0अ0सं0 81/25 धारा 8/22/29 एनडीपीएस एक्ट व धारा 207 एम0वी0 एक्ट में दाखिल है, जो वर्तमान में थाना परिसर में खड़ी है।

3– सुना एवं प्रपत्रों का अवलोकन किया।

4– प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में वाहन मोटरसाईकिल रजिस्ट्रेशन नम्बर UP11AY3042 को उसे सुपुर्द करने की प्रार्थना की गयी है। प्रार्थी की ओर से उक्त वाहन के स्वामित्व के सम्बन्ध में वाहन का मूल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अवलोकन हेतु तथा वाहन रजिस्ट्रेशन

सर्टिफिकेट की छायाप्रति, पावर ऑफ एटॉर्नी विश्वजीत सिंह दिनांकित 15.07.2026 की छायाप्रति व स्वयं का शपथपत्र पत्रावली पर प्रस्तुत किये गये हैं। वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के अनुसार प्रश्नगत वाहन मोटरसाईकिल का पंजीकृत स्वामी विश्वजीत सिंह पुत्र बी.एस. पुण्डीर निवासी ओ.बी.ओ. नोर्थ इंडिया फाईनेंस कम्पनी अम्बाला रोड सहारनपुर अंकित है। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत पावर ऑफ एटॉर्नी के अनुसार, वाहन के पंजीकृत स्वामी विश्वजीत सिंह द्वारा निजी कार्यों में अति व्यस्त होने के कारण स्वयं उक्त वाहन का संचालन व देख रेख करने में असमर्थता जताते हुए उक्त वाहन की पावर ऑफ एटॉर्नी दिनांक 15.07.2026 को प्रार्थी मौहम्मद सादिक पुत्र मुस्तफा को दिया जाना दर्शित है। जबकि प्रस्तुत मामले की घटना दिनांक 13.04.2025 की है व तभी से प्रश्नगत वाहन जब्त होकर थाने पर खड़ा है। एक वर्ष से भी अधिक अवधि के उपरांत पावर ऑफ एटॉर्नी दिनांक 15.07.2026 को तैयार की गयी है। उक्त पावर ऑफ एटॉर्नी अपंजीकृत है तथा इसमें Description of Document के कॉलम में Article 48(e)(ii) Power of Attorney-Authority to sell **immovable property** for consideration अंकित है। जिससे स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रपत्र पावर ऑफ एटॉर्नी की वैधता **"अचल सम्पत्ति"** के लिए है, जबकि वाहन मोटरसाईकिल **"चल सम्पत्ति"** की श्रेणी में आता है। वाहन का पंजीकृत स्वामी विश्वजीत सिंह सहारनपुर का स्थानीय निवासी है। वह स्वयं न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो सकता है। प्रार्थी मौ0 सादिक प्रश्नगत वाहन मोटरसाईकिल का पंजीकृत स्वामी नहीं है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत प्रश्नगत वाहन मोटरसाईकिल को प्रार्थी के हक में रिलीज किया जाना न्यायोचित नहीं है तथा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

5– प्रार्थी मौ0 सादिक की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र **निरस्त** किया जाता है।

दिनांकः– 21.07.2026

(निशान्त देव)
विशेष न्यायाधीश (एन0डी0पी0एस0 एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–12,
सहारनपुर।
जे0ओ0कोड–यू.पी.1704

Digitally signed by Nishant Dev
Date: 2026.07.21 16:06:44 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court, Saharanpur